OFFICE OF THE SPECIAL COMMISSIONER OF POLICE, LAW & ORDER, DELHI

It has come to notice that while dealing with crime against animals, most of the police officers either do not know the various provisions of the relevant Acts or show apathy by treating such cases as frolicsome and a waste of time. At times, specific sections of IPC, like 428, 429, 379, 503 and Delhi Police Act 1978 are not invoked while booking an offender under Prevention of Cruelty to Animals Act etc..

Henceforth, it is the responsibility of the area SHO and ACP/SDPO to properly educate/supervise/guide the I.O.s to ensure that while dealing with crime against animals, all the sections of relevant Acts are properly mentioned in FIRs and investigation/necessary action is taken up, accordingly. Some of the relevant laws as well as sections of IPC and D.P. Act 1978 enclosed, be circulated to each police station in Delhi.

(DEEPAK MISHRA)
Special Commissioner of Police
Law & Order, Delhi.

All Jt. Cs.P/Ranges
All Heads of Distts.

No. 652-68 /SO/Spl.C.P./L&O, dated Delhi the 07/02 /2014

भारतीय दण्ड संहिता

धारा 428	➢	**दस रूपये से अधिक मूल्य के जीव-जन्तु या पशु को मारकर या अंगहीन करके (विकलांग) रिष्टि (बेजा हानि) करना:-** जो कोई व्यक्ति, दस रूपये या उससे अधिक मूल्य के पशुओं या जीव-जन्तु को मारकर या जहर देकर, अंगहीन (विकलांग) या बेकार करके नुकसान पहुँचता है तो वह दो वर्ष की अवधि के कारावास या जुर्माने से या दोनों सजाओं से दण्डित किया जाएगा। प्रक्रिया - संज्ञेय-जमानतीय-कोई भी मजिस्ट्रेट।
धारा 429	➢	**किसी भी मूल्य के ढोर या 50 रूपए के मूल्य के किसी जीव-जन्तु को वध करने या उसे विकलांग करके रिष्टि (बेजा हानि) करना:** - जो कोई व्यक्ति, किसी भी मूल्य के हाथी, ऊँट, घोड़ा, खच्चर, भैंस, सांड, गाय या बैल को चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो या 50 रूपए या उससे अधिक मूल्य के किसी भी अन्य पशु को जान से मारकर या विष देकर विकलांग या बेकार करके रिष्टि (बेजा हानि) करता है तो वह 5 साल की अवधि के कारावास या जुर्माने से या दोनों सजाओं से दण्डित किया जाएगा। प्रक्रिया - संज्ञेय-जमानतीय-प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट।
धारा 378	➢	**चोरी:** - जो कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सहमति (रजामन्दी) के बिना, कोई जंगम या चल सम्पत्ति, बेईमानी से लेने का आशय (नीयत) रखते हुए, उसके मूल स्थान से हटाता है या स्थान परिवर्तित करता है, तब यह कहा जाएगा कि वह चोरी करता है।
धारा 379	➢	**चोरी के लिए दण्ड:** - जो कोई व्यक्ति, चोरी का अपराध करेगा तो वह तीन वर्ष की अवधि के कारावास या जुर्माना या दोनों सजाओं से दण्डित किया जाएगा। प्रक्रिया - संज्ञेय-गैरजमानतीय-कोई भी मजिस्ट्रेट। इस धारा में चोरी के अपराध के लिए दण्ड संबंधी उपबन्ध किया गया है। अभियुक्त की कम आयु एवं अच्छे चरित्र के रिकार्ड के आधार पर उसके दण्ड में कमी की जा सकती है तथा उसे परिवीक्षा अधिनियम, 12958 के अन्तर्गत परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ा भी जा सकता है।
धारा 503	➢	**आपराधिक अभित्रास :- (धमकी)** जो भी किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट, उसकी प्रतिष्ठा या सम्पत्ति, या उससे सम्बन्धित अन्य किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट या उसकी प्रतिष्ठा या सम्पत्ति, खतरा पैदा करने के इरादे के साथ या उस व्यक्ति को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करेगा जिसे वह करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, धमकी देता है, आपराधिक अभित्रास माना जाएगा।
	➢	**दिल्ली पुलिस अधिनियम 1968 में धारा 73 से 79 एवं 99 के तहत दिल्ली पुलिस को विशेष अधिकार है कि वह जानवरों के प्रति होने वाले अपराधों में कानूनी कार्यवाही कर सकती है।**

	➢	**आवारा या पालतू जानवरों की रक्षा करने वाले विभिन्न अधिनियमों के तहत कानून:-** 1. पशु अधिनियम के प्रति क्रूरता की रोकथाम की धारा 11 सभी पशु क्रूरता एक दण्डनीय अपराध है। जुर्माना और कैद दोनों के लिए प्रदान की जाती है। भारतीय दण्ड संहिता में भी समान प्रवाधान है। 2. विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, किसी भी प्रकार की क्रूरता के खिलाफ आवारा कुत्तों की रक्षा करता है। 3. पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ता) नियम, 2001, पशु अधिनियम के प्रति क्रूरता की रोकथाम के तहत अधिनियमित, आवारा कुत्तों की आबादी को कम करने और रेबीज के जोखिम को नष्ट/स्थिर करने के एक साधन के रूप में विसंक्रमण और टीकाकरण के लिए प्रदान करते हैं, और आवारा कुत्तों के स्थानान्तरण, यानी प्रतिबन्धित फेंक, या दूसरे में, एक क्षेत्र से बाहर उन्हें गाड़ी चला, यहाँ तक कि उपद्रव कुत्तों को हटाने, अव्यवस्था या हत्या पर प्रतिबंध लगाता है जो इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के लिए एक लेख चर्चा करते हुए ही प्रतियां सलंग्न। 4. आवारा कुत्ते मैनेजमेन्ट नियम, 2001 के तहत, एक अकेले के लिए अपने अवैध, RWA या राज्य प्रबंधन कुत्तों को हटाने या स्थानान्तरित करने के लिए कुत्तों की नसबन्दी और टीका लगा या और एक ही क्षेत्र में लौट सकता है। नगर पालिका भी टीका लगा या और नसबन्दी किए कुत्तों को नहीं निकाल सकते। 5. लोक शिकायत अधिसूचना के मंत्रालय और भारत के पशु कल्याण बोर्ड द्वारा एक समान अधिसूचना पशु पालन के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करने और जानवरों को खिलाने या मदद करने की कोशिश करने वाले लोगों को परेशान करते हैं, इस तरह के निवासी कल्याण संघों के रूप में सरकारी कर्मचारी या निकायों को मार्च 2008 को प्रतिबंधित किया। 6. मध्य मुबई उपभोक्ता के निर्देशक 22/11/10 के तहत, अक्टूबर 2008 के बाद जो आवासीय सोसाईटी पालतू जानवरो को लिफ्ट के उपयोग करने पर उनसे चार्ज कर रहे थे, उन आवासीय सोसाईटियों के खिलाफ विवाद के निवारण को फोरम ने दृढ़ता से लिया। 7. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2011 में एक आदेश पारित किया कि कुत्तों और कुत्ता फीडरों को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश के तहत पुलिस ने एक आदेश पारित किया कि किसी भी कुत्ते को प्रतिबन्धित, हटाने की अव्यवस्था, हत्या या कुत्तों को सैरगाह के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए असुविधा का कारण बनता है, प्रतिबन्धित मामले में एक दण्डनीय अपराध बना दिया है। 8. उच्चतम न्यायालय ने 2009 में पारित आदेश को भारत में किसी भी जगह पर कुत्तों को हटाने, अव्यवस्था आदि के खिलाफ स्थिर रखा है।

भारत का सविंधान हमें जानवरों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च मार्ग दर्शन प्रदान करता है।

भारतीय सविंधान की अनुच्छेद 51-ए के तहत दस मौलिक कर्त्तव्यः- जैसे अपने प्रति कर्त्तव्य, वातावरण सम्बन्धित कर्त्तव्य, राज्य के प्रति एवं राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य दिए गए हैं। राज्य नीतियों के निर्देशित सिद्वांत कहते हैं कि कानून बनाते समय इनकी अपने ध्यान में रखें। हालाँकि चाहे वो गैर न्यायसंगत स्वरूप के ही हो।

निर्देशित सिद्वान्तों की निम्न श्रैणियों में वगीकृत किया गया है। गाँधीवादी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, कानूनी, वातावरण सम्बन्धित, स्मारकों की सुरक्षा, शान्ति एवं सुरक्षा। स्टाकहोम घोषणा 1972 के बाद, भारतीय सविंधान (46वां संशोधन अधिनियम 1976 में पहली बार वातावरण को बचाने एवं सुधारने के लिए प्रतिष्ट किया गया।

अनुच्छेद-51-ए(ज)	➢	राज्य "भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वो प्राकृतिक वातावरण को बचाएँ एवं सुधारे जिसमें वन, झीलें, नदियाँ एवं वन्य जीवन सम्मिलित हैं और उसमें जीव-जन्तुओं के प्रति करूणा हो।
अनुच्छे-48-ए	➢	राज्य, वातावरणा को बचाने एवं सुधारने के लिए प्रत्यन करेंगें और वे वन्य जीवन एवं वन को सुरक्षित करेगें।
अनुच्छे-19	➢	नागरिकों के मौलिक अधिकारों को दर्शाता है।
अनुच्छे-25, 26, 27 एवं 28	➢	नागरिकों को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करता है एवं धर्मनिरक्षेप सिद्वान्त के संरक्षिता करते हैं। सविंधान के अनुसार राज्यों के लिए सभी धर्म समान है। सभी नागरिक अपने मनअनुसार किसी भी धर्म को मानने, पूजा-पाठ करने, प्रवचन करने, प्रसार करने के लिए स्वतन्त्र हैं। जानवरों जैसा कि कुत्तों को खिलाना भी कई धर्मो का हिस्सा है।